UPGK010056392026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0-2517/ 2026

राहुल यादव उम्र 27 वर्ष पुत्र सागर यादव निवासी- ग्राम मटिहानी पोस्ट परसिया थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०-208/2019
धारा-323,504,506 भा०दं०सं०
व धारा 3 (1) द, 3 (1)ध एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 31.07.2026

आवेदक/अभियुक्त राहुल यादव की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार रोशन यादव का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा-15 (ए) (5) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमरजीत के द्वारा थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.06.2019 को दिन के 12.00 बजे सरयू तट मदरिया में वे लोग स्नान करने के लिये गये थे। इसी बीच ग्राम मटिहानी के राहुल यादव, बलिराम यादव, भोलू यादव व अज्ञात लोगों ने शौलेश, अमरजीत, बलजीत, आदर्श को बिना किसी कारणवश लाठी डण्डों से मारा तथा कहा कि अगर थाने में शिकयात किया तो जान से मार दूंगा। वह अनुसूचित जाति के लोग हैं। अभियुक्तगण गाली देते हुए भाग गये। अतः उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको फर्जी व रंजिशवश फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को फर्जी तौर पर रंजिशन इस मुकदमे में मुल्जिम बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस मामने के विवेचक को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को इस मामले के विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के बाद प्रेषित आरोप पत्र के सम्मन प्रेषित किये जाने पर न्यायालय में उपस्थित है। आवेदक/अभियुक्त के विरुध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध गठित नहीं होता है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करके गाली गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट कर उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s 528 BNSS No. 6400 of 2025 Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other [Netural Citation No. 2025: AHC:136034]** में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना- पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त राहुल यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/- रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रभारी, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।

I.D.No. : UP6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.07.31 16:37:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court